न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 119/2025

1. वसुंधरासिंह भाटी पुत्री निहालसिंह जाति राजपूत निवासी चौतीना कुआं, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 एसडब्ल्युएम बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. कपिल कुमारी पत्नी निहालसिंह जाति राजपूत निवासी चौतीना कुआं, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 एसडब्ल्युएम बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीगण

1. दीतणखां उर्फ अलादीता पुत्र गुलमन्दखां जाति मुसलमान निवासी चक 1 एसडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 16.12.25

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीगण के नाम चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 199/48 के किला नं0 6,15,16,25 में कुल 1.0116 है0 कमाण्ड व मु0नं0 200/50 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 में कुल 1.5174 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 2.5290 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा मु0नं0 200/50 के किला नं0 23 में प्रार्थीगण अपनी ढ़ाणी बनाकर अपने परिवार सहित मय पशुधन निवास करती है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि में आने–जाने व कृषि भूमि में काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि साधन लाने के लिए कोई कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम चक 1 एसडब्ल्युएमएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 19, 20/2 ,21/2, 22 में 0.9358 है0 कमाण्ड व मु0नं0 200/51 के किला नं0 15, 16/1 में कुल 0.3541 है0 कमाण्ड इसप्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 1.2899 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 200/50 के किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कटानशुदा रास्ता स्वीकृत है और प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 200/50 के किला नं0 21, 22 से होता हुआ प्रार्थीगण के मुरब्बा नं0 200/50 के किला नं0 23 से टच होता है तथा किला नं0 23 में प्रार्थीगण की ढ़ाणी बनी हुई है। जोकि उक्त रास्ता काफी समय से चालू है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण काफी समय से करती आ रही है। प्रार्थी अपनी जोत में पहुंचने के लिए चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि कुल 04 बिस्वा अर्थात 0.0506 हैक्टर रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयवीरसिंह उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वांछित रास्ता अप्रार्थी सं0 1 देने को सहमत है किन्तु उक्त रास्ता भूमि के प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 18 में रास्ता में कटान भूमि के बदले बराबर भूमि किला नं0 19 की सींव के चिपते चिपते लेना चाहता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री इमीचंद गोदारा ने अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 18 में से अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 19 के चिपते चिपते सींव पर 04 बिस्वा देने की सहमति दी। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट पत्रांक/तखा /राजस्व/1549 दिनांक 02.12.25 द्वारा प्रस्तुत हुई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता जोत में प्रवेश हेतु निकटतम रास्ता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारों में सहमति बन गई है। अतः प्रकरण लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किया जाता है। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। अतः चक 1 एसडब्ल्युएम बी मु0नं0 200/50 के किला नं0 21, 22 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा यानि कुल 04 बिस्वा अर्थात 0.0506 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है एवं उक्त रास्ता के प्रतिफल के रूप में पक्षकारों की सहमति अनुसार प्रार्थीगण के किला नं0 18 में से 4 बिस्वा अर्थात 0.0506 हैक्टर (अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 19 के चिपती भूमि) अप्रार्थी सं0 1 दीतणखां उर्फ अलादीता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज की जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)